मंत्रालय

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 9 जून, 1998

क्रमांक एफ-23-44/96/32-1, यतः राज्य सरकार की यह राय है कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा का निरन्तर बना रहना अनावश्यक है,

अतः मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 [क्रमांक 23 सन् 1973] की धारा 76 की उपधारा [1] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार यह घोषित करती है कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा को इस अधिसूचना के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से विघटित किया जाता है।

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 76 की उपधारा [2] के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में विघटित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा के समस्त आस्तियां एवं दायित्व विघटन की तारीख से मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम -1956 [क्रमांक 23 सन् 1956] की धारा 7 के अधीन राज्य सरकार के स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक - [illegible] 0/10-3/96, दिनांक 8.6.98 द्वारा यथा अधिसूचित और गठित नगर पालिक निगम, कोरबा जिला- कोरबा क्षेत्र, के स्थानीय निकायों में निहित हो जायेंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

[signature]

[एस0 के0 दुबे]
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 9 जून 1998

पृ.क्रमांक एफ-44/96/बत्तीस- एक

प्रतिलिपि:

1] प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्थानीय शासन विभाग, भोपाल ।

2] ~~सचिव, मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ।~~

3] संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

4] संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल ।

5] कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ, भोपाल म.प्र.

6] उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि अधिसूचना को दिनांक 9.6.98 के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करावें ।

7] मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोरबा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

8] कलेक्टर कोरबा [म0प्र0] की ओर सूचनार्थ ।

[एस.के. दुबे]
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग

स्थापना शाखा

कार्यालय नगर पालिक निगम - कोरबा
जिला कोरबा (म. प्र.)

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 2/भो-122/98

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. 2
डब्ल्यू. पी./505/98

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 जून 1998—ज्येष्ठ 18, शके 1920

स्थानीय शासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 1998

क्र. 22-एफ-1-7-98-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगरपालिक निगम अधिसूचित किया जाता है :—

सारणी

सरल क्रमांक (1)	क्षेत्र का नाम (2)	स्थानीय सीमाएं (3)
1	भिलाई जिला दुर्ग	भिलाई क्षेत्र के निम्नलिखित ग्राम :— रिसाली, डूंडरा, जामूल-हथखोज, भिलाई, चरोंदा, खमरिया, जुनवानी, कुरूद, कोहका, सुपेला, छांवनी, आमदी (नेहरू नगर), कोसा, आमदी, कोटरा भाठा, नवागांव, बावली, रूवाबाधा, मरोदा नेवई, जोरा तराई, हिंगना, सोंड, पुरेना, कुरसी पार जोन एक, कैंप नम्बर एक कैम्प नम्बर दो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 1998

क्र. 23-एफ-1-8-98-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा निम्न सारणी में

विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगरपालिक निगम अधिसूचित किया जाता है :—

सारणी

सरल क्रमांक (1)	क्षेत्र का नाम (2)	स्थानीय सीमाएं (3)
1	कोरबा जिला कोरबा	कोरबा क्षेत्र के निम्नलिखित ग्राम :— कोरबा, रामपुर, पाड़ीमार, कोहड़िया, स्याहीमुड़ी जैल, चारपारा, गेवरा, टांगाखोर, नगोईखार, दर्रीखार, जमनीपाली, गजरा, बांकी, घोरदेवा, गोवेरा, बरपाली, जरहाजेल, बरमपुर, दुरपा, दुल्लापुर, कोसमंदा, झगरहा, बरबसपुर, खरमोरा, दादरखुर्द, रांपाखर्रा, विश्रामपुर, मेलवाडीह, भिलाईपुर, खम्हरिया, बलगीखार, डंगनियाखार, सुराकछार, केदईखार, अंगारखार, लाटा, समेधा, सेमीपाल, गोपालपुर, चोरभट्‌टी, डूमरमुड़ा, बरेठीकुड़ा, रोहिमा, मोंगरा, कुचेना, घाटमुड़ा, मनगांव, मुड़वाढ़ोड़ा, पुरेना, भैरवताल, चन्द्रनगर, नरईबोध, कुभारी, रूपगरा, रिसदा, रिस्दी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 1998

क्र. 24-एफ-1-9-अठारह-3-98.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पंचायत अधिसूचित किया जाता है :—

सारणी

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम का नाम (3)	सीमाएं व क्षेत्र का विवरण (4)
दुर्ग	धमधा	कुम्हारी	ग्राम कुम्हारी का सम्पूर्ण क्षेत्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 1998

क्र. 25-एफ-1-10-अठारह-3-98.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को नगरपालिक निगम दुर्ग, जिला दुर्ग की सीमा में सम्मिलित किये जाने का मंतव्य अधिसूचित करते हैं. इस संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर कलेक्टर, दुर्ग को प्रस्तुत की जावे, जिन पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा विचार किया जावेगा.

नगरपालिक निगम दुर्ग, जिला दुर्ग की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण :—

ग्राम—कोटनी, करहीडीह, बघेरा, उरला (दुर्ग), कातुलबोड, मोहलाई, पुलगांव, पोटिया, बोरसी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, अपर सचिव